संख्या-489/2025/2518/22-2-2023-17(889)/2023

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 27 मई, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजवीर सिंह पुत्र श्री आधार सिंह, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-16636/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-01.05.2023), दिनांक 19.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजवीर सिंह पुत्र श्री आधार सिंह, निवासी ग्राम भवरसां थाना- मेरापुर जनपद-फर्रूखाबाद का निवासी है। पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 22.05.2007 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा, बन्दूक व चाकू से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-509,513/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 324, व 25ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 06.09.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी ने दिनांक 04.04.2023 तक 14 वर्ष, 05 माह, 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष, 11माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी के छूटने के बाद पुन: किसी घटना कारित होने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी के परिवार की समाजिक अर्थिक दशा ठीक नहीं है अभी भी दोनों पक्षों में विवाद होने की पूर्ण सम्भावना होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बन्दी राजवीर सिंह पुत्र श्री आधार सिंह की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 22.05.2007 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा, बन्दूक व चाकू से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजवीर सिंह पुत्र श्री आधार सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजवीर सिंह (बन्दी संख्या-25997) पुत्र श्री आधार सिंह, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-489/2025/2518(1)/22-2-2023-17(889)/2023, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-489/2025/2518/22-2-2023-17(889)/2023

दिनांकः 27 मई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजवीर सिंह पुत्र श्री आधार सिंह, निवासी ग्राम-भवरसां थाना-मेरापुर जनपद-फर्रूखाबाद का निवासी है। पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 22.05.2007 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा, बन्दूक व चाकू से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-509,513/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 324, व 25ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 06.09.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी ने दिनांक 04.04.2023 तक 14 वर्ष, 05 माह, 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष, 11 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी के छूटने के बाद पुन: किसी घटना कारित होने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी के परिवार की समाजिक अर्थिक दशा ठीक नहीं है अभी भी दोनों पक्षों में विवाद होने की पूर्ण सम्भावना होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बन्दी राजवीर सिंह पुत्र श्री आधार सिंह की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 22.05.2007 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा, बन्दूक व चाकू से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजवीर सिंह पुत्र श्री आधार सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in